दूरभाष –05278.245957
फैक्स –05278.248123

E-Mail ID : nssrmlau@gmail.com
Website : www.rmlau.ac.in

राष्ट्रीय सेवा योजना
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक : लो0अ0वि0 / रा0से0यो0 / 2208 / 2020 दिनांक : 17, नवम्बर, 2020

(अति आवश्यक / समयबद्ध)

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / कार्यक्रमाधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।

विषयः– दिनांक 18.11.2020 से 24.11.2020 तक मनाये जाने वाले कोविड–19 के बचाव हेतु जन–जागरूकता अभियान व सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक परिवहन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः–3749 / तीस–3–20–29एम / 2014टी0सी0–1, दिनांक 09.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) एवं तद्क्रम में अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0), उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत पत्र संख्याः–1773स0सु0 / 2020–30स0सु0 / 2019, दिनांक 11.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश में सड़क सुरक्षा में मृतकों की संख्या में कमी जाये जाने तथा कोविड–19 से बचाव के दृष्टिगत जनमानस में जागरूकता अभियान व सड़क सुरक्षा सप्ताह **दिनांक 18.11.2020 से 24.11.2020 तक** मनाये जाने के निर्देश दिये गये है।

तद्क्रम में आपसे अनुरोध है कि शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम की रूप रेखा के अनुपालन में तिथिवार कार्यक्रम सम्पादित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय्

कुलसचिव / कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डॉ0 अशोक कुमार श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0 क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवॉ तल, हाल नम्बर–1, सेक्टर–एच0, अलीगंज, लखनऊ।
2. डॉ0 अंशुमालि शर्मा, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग रा0से0यो0प्र0, विधान भवन, लखनऊ।
3. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित करने वाले महाविद्यालयों की लॉग–इन् पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. निजी सचिव, कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
5. आशुलिपिक, वित्त अधिकारी / कुलसचिव को, वित्त अधिकारी / कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
6. पत्रावली।

कुलसचिव / कार्यक्रम समन्वयक

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश

संख्या 1773 स0सु0 / 2020–3 स0सु0 / 2019 लखनऊः दिनांक 11 नवम्बर, 2020

सेवा में,

विशेषकार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना, प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–दिनांक– 18–11–2020 से 24–11–2020 तक मनाये जाने वाले कोविड–19 के बचाव हेतु जन–जागरूकता अभियान व सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 3749 / तीस–3–20–29एम / 2014टीसी–1 दिनांक– 09–11–2020 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या में कमी लाये जाने तथा कोविड–19 से बचाव के दृष्टिगत जन–मानस में जागरूकता अभियान व सड़क सुरक्षा सप्ताह दिनांक– 18–11–2020 से 24–11–2020 तक मनाये जाने के निर्देश दिये गये है।

2– उल्लेखनीय है कि शासन के उपरोक्त निर्देशों में परिवहन विभाग के साथ–साथ पुलिस, लोक निर्माण, समस्त निर्माण एजेंसियां, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा परिवहन निगम द्वारा भी सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिदिन कार्यक्रमों के संचालित किये जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त सभी विभागों को कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः एन0एस0एस0 योजना से जुड़े हुए समस्त महाविद्यालयों में उक्त सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुपालन में तिथिवार कार्यक्रम सम्पादित कराये जाने हेतु अपने स्तर से प्रोग्राम समन्वयकों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

11/11/2020

(गंगा फल),
अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या– स0सु0 / समदिनांकित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गंगा फल),
अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0),
उत्तर प्रदेश।

सभी कार्यक्रम समन्वयक / जिला नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय सेवा योजना

कृपया मुख्य सचिव के संलग्न पत्र के अनुसार 18/11/2020 से 24/11/2020 तक कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत जन-मानस में जागरूकता अभियान व सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के निर्देश सभी महाविद्यालयों को जारी कर दें

17/11/2020
(अंशुमाली शर्मा)
SNO

संख्या-3749/तीस-3-20-29 एम/2014 टीसी-1

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त , उ0प्र0।
2. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 09 नवम्बर अक्टूबर, 2020

विषय:- दिनांक 18.11.2020 से 24.11.2020 तक मनाये जाने वाले कोविड-19 के बचाव हेतु जन-जागरूकता अभियान व सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-406/तीस-3-20-135 एम/2017, दिनांक 20.03.2020 द्वारा प्रदेश में सड़क दुघटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या गत वर्ष की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लाये जाने के लिये निर्देश दिये गये है। सड़क दुर्घटना के आंकड़ों के विश्लेषण में वर्ष 2020 में 2019 के सापेक्ष माह अगस्त तक कतिपय जनपदों को छोड़कर अधिकांश जनपदों में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की दिनांक 09.10.2020 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में कोविड-19 से बचाव व सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जन-मानस के प्रति जागरूकता लाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक त्रैमास में एक सड़क सुरक्षा सप्ताह अर्थात पूरे वित्तीय वर्ष में चार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने के निर्देश दिये गये है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग के रखे जाने के उद्देश्य से किसी भी तरह के भीड़-भाड वाले कार्यक्रम जैसे-सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित वृहद कार्यशाला का आयोजन, रैली, बाइकोत्थान एवं नुक्कड़ नाटक आदि किया जाना सम्भव नही है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक स्थान पर भीड़ न एकत्रित करते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किये जाने के उद्देश्य से वर्तमान परिस्थितियों में सड़क सुरक्षा सप्ताह दिनांक 18.11.2020 से 24.11.2020 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अत: अपेक्षा है कि कृपया संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु यथावश्यकता संबंधित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by [illegible]
Date: Sat Oct 24 14:35:43 IST 2020
Reason: Approved

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
9. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
10. निदेशक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

दिनांक 18.11.2020 से 24.11.2020 तक मनाये जाने वाले कोविड-19 के बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान व सड़क सुरक्षा सप्ताह की विभागवार रूपरेखा :-

दिनांक/दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल-लो0 नि0 वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग
18.11.2020 बुधवार	पूर्वाह्न -उद्घाटन समारोह-स्थानीय ऑटो डीलर्स के सहयोग से कोविड-19 के बचाव व सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता रथ का स्थानीय मा0 सांसद/विधायक से हरी झंडी दिखाकर रवाना करना तथा कोविड-19 के बचाव व सड़क सुरक्षा से संबंधित पम्पलेट, स्टीकर, हैंडबिल का जनमानस में वितरण। अपराह्न-ग्रामीण क्षेत्रों में	सभी बस स्टेशनों पर कोविड-19 से बचाव एवं सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों से संबंधित होर्डिंग पोस्टर का लगाया जाना तथा बस स्टेशन व बसों में स्टीकर का लगाया जाना। बस स्टेशन पर स्थित चालक विश्राम कक्ष में	एन0सी0सी0 कैडेट तथा एन0एस0एस0 के छात्र-छात्रओं द्वारा अपने स्कूल/कालेज परिसर के अन्दर रहकर संगोष्ठी एवं परिसंवाद इत्यादि तथा परिसर के बाहर चिन्हित मुख्य यातायात जंक्शन पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों के साथ	वर्ष 2016 एवं 2018 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर किये गये ट्रैफिक कॉमिंग मेजर्स का स्थलीय निरीक्षण।	सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के संबंध में जागरूक करना एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम शिक्षिकाओं के माध्यम से ऑन लाइन या आफ लाइन कराय जाए।	सभी अस्पतालों (सरकारी/निजी/मेडिकल कालेज-निजी अस्पतालों में IMA द्वारा) में सड़क सुरक्षा के प्रति शपथ ग्रहण एवं गोष्ठी/कार्यक्रम का आयोजन, गुड सेमेरिटन गाइड लाइन्स तथा कोविड-19 से बचाव के बारे में

	सद्भावना पूर्ण ढग से हेल्मेट एवं सीट बेल्ट की चेकिंग जिसके अन्तर्गत हेल्मेट व सीट बेल्ट को न पहनने वालो को प्रवर्तन . अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई व कोविड-19 के बचाव की वीडियों को दिखाया जाना।	कोविड-19 से बचाव व ट्रैफिक साइनेजेज से संबंधित पोस्टर लगाया जाना।	रहकर वाहन चालकों व पैदल चलने वालों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन।			जागरूक किया जाना।
19.11.2020 गुरूवार	सार्वजनिक सेवायान (यात्रीवाहन) चालकों को महिला सुरक्षा एवं सम्मान हेतु एन0जी0ओ0 सेवलाइफ फाउण्डेशन के सहयोग से सभी 75 जनपदों को जोड़ते हुए कोविड-19 से बचाव की जानकारी देते हुए सेफ ड्राइविंग एण्ड फर्स्ट रिस्पाण्डर की टेनिंग कराया जाना। टेनिंग के पश्चात् चालकों के हेल्थ कैंप का आयोजन करना।	परिवहन विभाग के कार्यक्रम में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में निगम के चालक,परिचालकों को शामिल कराना।	आटो रिक्शा, ई-रिक्शा, बस एवं टैक्सी चालकों के संगठन के माध्यम से उनकी बैठक बुलाकर उन्हें यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया जाए एवं महिला सुरक्षा व सम्मान के प्रति संवेदनशील किया जाए।	एन0एच0,एस0एच0, एम0डी0आर0 के मार्गों की पटरियों मार्गों के किनारें पेड़ों एवं पुल/पुलियों पर पेंटिग के कार्यों के साथ-साथ क्षतिग्रस्त पुल/पुलियाओं पर की गयी मरम्मत का स्थलीय निरीक्षण।	सड़क सुरक्षा से संबंधित स्लोगन तथा पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन	सभी सरकारी एंव निजी मेडिकल कालेज में सड़क सुरक्षा एवं कोविड-19 बचाव से संबंधित विषयों पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन।
20.11.2020 शुक्रवार	प्रदूषण जांच केन्द्रों की चेकिंग व मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग।	परिवहन निगम के चालकों एवं परिचालकों की वर्दी में उपस्थिति कराकर उनके मध्य कोविड-19 के बचाव तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर क्विज कम्पटीशन कराया जाना तथा परिवहन निगम के चालकों द्वारा उनके चालन के विशेष अनुभवों को साझा किया जाना। क्विज कम्पटीशन में विजेता क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाना।	वाहनों पर हूटर, सायरन, प्रेशर हार्न एवं शीशों पर काली फिल्म का प्रयोग करने वालों के विरूद्ध चेकिंग अभियान।	एन0एच0,एस0एच0, एम0डी0आर0 एवं शहरी मार्गों पर रोड मार्किंग/टैफिक काम्मिंग मेजर्स, पोट होल्स एवं पैच मरम्मत के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण।	सड़क सुरक्षा से संबंधित निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।	सभी अस्पतालों में दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चालाकों (मरीज एवं तीमारदार) का नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन। इस संबंध में सूचना पूर्व में ही हिन्दी एवं अग्रेंजी के प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रकाशित करायी जाए।
21.11.2020 शनिवार	पूर्वाह्न-विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति के अन्तर्गत स्कूली वाहनों के चालकों/ परिचालकों को	निगम की बसों की फिटनेस की जांच कर कमियों को दूर करना तथा	स्कूली वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान एवं मोबाइल फोन एवं	मार्गों के किनारें अवैध ढाबों के विरूद्ध अभियान।	सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में परिवहन एवं यातायात	सभी अस्पतालों में सार्वजनिक यात्री वाहन एवं एम्बुलेंस चालकों का नेत्र

	कोविड-19 से बचाव व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना। अपराह्- मा0 सुप्रीमकोर्ट गाइड लाइन एवं स्कूल वाहन नियमावली, 2019 के दृष्टिगत स्कूली वाहनों की चेकिंग किया जाना।	कोविड-19 से बचाव हेतु बसों के सैनेटाइज किये जाने की जानकारी दिया जाना।	सीट-बेल्ट , चेकिंग अभियान।		विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए।	एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन।
22.11.2020 रविवार	पूर्वाह्- परिवहन निगम के अधिकारियों के सहयोग से प्रमुख बस स्टेशन पर कोविड-19 से बचाव व सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम का आयोजन जिसमें चालकों/परिचालकों एवं यात्रीगणों को जागरूक किया जाए तथा परिवहन निगम के चालकों हेतु बस स्टेशन पर ही हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाए जिसमें उनको कोविड-19 के बचाव की जानकारी प्रदान की जाए। अपराह्-अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरूद्ध चेकिंग अभियान।	परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर कोविड-19 से बचाव व सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन तथा चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन कराना।	अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरूद्ध चेकिंग अभियान में परिवहन विभाग का सहयोग करना। राजमार्गों पर सड़क के किनारे स्थित ढाबों व ट्रक चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। राजमार्गों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरूद्ध अभियान।	वर्ष 2016 एवं 2018 में चिन्हित ब्लैक स्पाट पर किये गये ट्रैफिक कामिंग मेजर्स से संबंधित पायी गयी कमियों को पूर्ण कराना।	सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम व स्लोगन का विद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया जाना।	सभी 108 /102/ ए0एल0एस0 एम्बुलेंसेस का मानदण्ड के अनुसार निरीक्षण (हाईवे एवं टोल-प्लाजा पर)।
23.11.2020 सोमवार	सीटबेल्ट एवं मोबाइल ड्रंकन ड्राइविंग के विरूद्ध सदभावना पूर्ण चेकिंग किया जाना तथा चेकिंग के दौरान उल्लंघन कर्ताओं को कोविड-19 से बचाव व सड़क सुरक्षा संबंधी वीडियो क्लिप को मोबाइल द्वारा दिखाया जाना।	निगम के अधिकारियों द्वारा ड्रंकन ड्राइविंग के अन्तर्गत अपने चालकों की चेकिंग करना तथा उन्हें नशा करके वाहन न चलाये जाने के प्रति जागरूक करना।	बिना हेल्मेट व तीन सवारी के साथ दोपहिया वाहन चलाने के विरूद्ध अभियान। ड्रंकन ड्राइविंग के विरूद्ध चेकिंग।	एन0एच0,एस0एच0, एम0डी0आर0 के मार्गों की पटरियों मार्गों के किनारे पेड़ों एवं पुल/पुलियों पर पेंटिंग के कार्यों के साथ-साथ क्षतिग्रस्त पुलों पर की गयी मरम्मत के स्थलीय निरीक्षण में पायी गयी कमियों को दूर करना।	सड़क सुरक्षा से संबंधित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करना।	सभी अन्य सरकारी एवं निजी एम्बुलेंसेस का मानदण्ड के अनुसार निरीक्षण।
24.11.2020 मंगलवार	पूर्वाह्-ओवर लोडिंग, सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों एवं रेट्रोरिफलेक्टिव टेप की सद्भावना पूर्ण चेकिंग किया जाना तथा उल्लंघन कर्ताओं को वीडियो क्लिप का मोबाइल द्वारा दिखाया जाना। अपराह्- समापन समारोह- टैम्पो/टैक्सी यूनियन एवं ट्रांसपोर्ट	परिवहन निगम की बसों में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का लगाया जाना तथा चालक परिचालक के बच्चों के मध्य सभी डिपो में कोविड-19 से बचाव एवं सड़क सुरक्षा विषय पर पेंटिंग स्लोगन राइटिंग कम्पटीशन का आयोजन	ट्रैक्टर-ट्राली पर गन्ना मिल, स्थानीय गन्ना समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं अथवा किसी अन्य संस्थान/कम्पनी से प्रायोजित कराकर निःशुल्क रेट्रो-रिफलेक्टिव टेप को लगाने हेतु प्रेरित किया जाय एवं	एन0एच0,एस0एच0, एम0डी0आर0 एवं शहरी मार्गों पर रोड मार्किंग/ट्रैफिक कामिंग मेजर्स, पोट होल्स एवं पैच मरम्मत के कार्यों के स्थलीय निरीक्षण में पायी गयी कमियों को दूर करना।	सड़क सुरक्षा से संबंधित भाषण प्रतियोगिता का आयोजन।	ढाबा, टोलप्लाजा पर कार्य करने वाले लोगों, एवं आस-पास रहने वाले अन्य स्वैच्छिक व्यक्तियों को फस्ट रिस्पोंडर ट्रेनिंग एवं कोविड-19 से बचाव की जानकारी दिया जाना।

	एसोशिएशन के साथ विचार गोष्ठी जिसके अन्तर्गत कोविड-19 से बचाव व सुरक्षित सड़क, सुक्षित प्रदेश विषय पर जानकारी दिया जाना।	कराना तथा क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया जाना।	लगवाया जाए।			